उपायुक्त का न्यायालय, हजारीबाग

विविध (प्रतिबन्धित सूची मुक्त संबंधी) वाद संख्या–51/2017

शहादत अंसारी
–बनाम–
राज्य (अंचल अधिकारी, बडकागॉव)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
03.03.2021	सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा खतियान की अभिप्रमाणित प्रति एवं ऑन लाईन रसीद की प्रति न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपना पक्ष रखा गया कि बड़कागॉव अंचल अन्तर्गत मौजा भदुली पिपराडीह, खाता सं0–36 प्लॉट संख्या–1142, रकवा 0.10 एकड़ रैयती खाते की जमीन के संबंध में अंचल अधिकारी, बड़काकॉव के पत्रांक–378 दिनांक–11.04.2018 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि खाता संख्या–36,प्लॉट संख्या–1142 रैयती खाते की जमीन है एवं पूर्व के हल्का कर्मचारी के टंकण भूलवश गैर मजरूआ खास भूमि में प्रतिवेदित करने के कारण इस खाते की जमीन को प्रतिबंधित सूची में दर्ज किया गया है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि खतियान के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि रैयती भूमि है एवं इसे प्रतिवंधित सूची में रखने का कोई औचित्य नहीं है। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने एवं अंचल अधिकारी, बड़कागॉव के प्रतिवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि हल्का कर्मचारी के द्वारा टंकण भूल के कारण इस भूमि को प्रतिबंधित सूची में दर्ज किया गया है। प्रश्नगत भूमि भू अर्जन वाद की कार्रवाई अंतर्गत नहीं है। अतः अंचल अधिकारी, बड़कागॉव के उपरोक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रश्नगत भूमि को प्रतिबंधित सूची से हटाने का आदेश दिया जाता है।	

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	इस आशय के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेजें। लेखापित एवं संशोधित — उपायुक्त, हजारीबाग। 3/3/2021 उपायुक्त, हजारीबाग 3/3/2021	

Digitally signed by SUNIL KUMAR SINGH
Date: 2022.04.09 14:01:39 +05:30
Location: 192.168.100.105